

ALI ISHRAT
EDITOR

आईना पोर

राष्ट्रीय हिन्दी मासिक पत्रिका

सेवा में,

जन सूचना अधिकारी

रेलवे बोर्ड, नई दिल्ली

367H1
15/7

DATE:- 11 JULY 2016

REF NO :- 11 07/2016/AP - 825

विषय :- जन सूचना अधिकार अधिनियम - 2005 के अंतर्गत सूचना उपलब्ध करना

महोदय,

कृपया जन सूचना अधिकार अधिनियम के अंतर्गत जनहित में निम्न सूचना उपलब्ध करायें :-

- 1 - गार्ड / GAURDS को किस योग्यता व अनुभव के आधार पर स्पेशल इयूटी / SPECIAL DUTY पर लगाया जाता है ? किस अधिकारी के द्वारा (किस अधिकारी के आदेश पर) गार्ड / GAURDS को स्पेशल इयूटी पर लगाया जाता है ? स्पेशल इयूटी पर लगाने हेतु इनका चयन किस प्रकार होता है ? कोई परिक्षा / EXAM. इत्यादि या फिर इनकी योग्यता व अनुभव के आधार पर ?
- 2 - एक बार स्पेशल इयूटी हेतु चयन के पश्चात कितने दिनों के लिए इन गार्ड / GAURDS को स्पेशल इयूटी पर लगाया जाता है ? (कितने दिनों/ महीनों / वर्षों के लिए इन्हें स्पेशल इयूटी पर लगाया जाता है)। एक गार्ड/GAURD को उसकी सेवा अवधि में अधिकतम कितने वर्षों / महीनों /दिनों तक के लिए स्पेशल इयूटी पर लगाया जा सकता है ? क्या किसी एक गार्ड /GUARD को दस दस या बीस बीस वर्षों के लिए लगातार स्पेशल इयूटी पर लगाया जा सकता है ?
- 3 - डिवीजनल कौंसिलर / DIVISIONAL COUNSELLOR के चयन की क्या प्रक्रिया है ? किस योग्यता व अनुभव के आधार पर कौंसिलर का चयन होता है ? किस अधिकारी के द्वारा डिवीजनल कौंसिलर का चयन किया जाता है ? एक कर्मचारी अपनी सेवा अवधि में डिवीजनल कौंसिलर के पद पर कितने वर्षों / महीनों / दिनों तक कार्य कर सकता है ? डिवीजनल कौंसिलर / DIVISIONAL COUNSELLOR के पद पर एक बार के चयन होने के पश्चात कोई व्यक्ति / कर्मचारी अधिकतम कितने वर्षों / दिनों तक इस पद पर कार्य कर सकता है ?

Head Office: 39P/41A-Diamond-Colony,Kareli-Allahabad-211016

Resy/House: 178/196 Buxi Bazar, Allahabad - 211003 U.P.

Phone: 91-9125624425, 9696181831, E-mail : aainapostmedia@rediffmail.com

Website: www.ainapost.com

- 4 - महाप्रबंधक, एन.सी.आर. इलाहाबाद के कार्यालय में रेलवे मैनुअल के अनुसार किन किन वस्तुओं / सेवाओं (SERVICES AND GOODS) का रिकार्ड रखा जाता है तथा किन किन वस्तुओं / सेवाओं का रिकार्ड नहीं रखा जाता है ? यह रिकार्ड कितने वर्षों तक रखे जाने का नियम है ?
- 5 - सेन्ट्रल अस्पताल (रेलवे अस्पताल) N.C.R. - ALLD. में डाक्टरों के ट्रांसफर के क्या नियम हैं ? किस आधार पर 10-12-20 वर्षों से एक ही स्थान (SAME DISTRICT) परमें यह डाक्टर कार्यरत हैं ? इन डाक्टरों को नियमतः हटाने के लिए सक्षम अधिकारी / अधिकारियों द्वारा क्या प्रयास किये गए हैं ? नियम की छाया प्रति तथा मेडिकली डी कटाराइज़ करने के लिए मेडिकल मैनुअल की छाया प्रति उपलब्ध कराएं .
- 6 - इलाहाबाद के गाड़ों का ओवरटाइम (OVERTIME) किसी क्लर्क द्वारा बनाया जाता है या फिर किसी गाई के द्वारा ? उसका नाम व पद उपलब्ध कराने करायें .



(अली इशरत)

Enclosure: A.C.I. P.O., with Rs. 10.00 bearing No. 34F 770 818
and a Letter to P.I.O., Railway Board, N. Delhi Ref No.
1007/2016/AP-826